भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६
(दुरभाष नं.0151-2253123/2250960)

नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों में बेर, लसोडा एवं खेजडी के पौधों की कटाई-छटाई (पृनिंग) से प्राप्त तथा आँधी-तूफान से टूटी हुई लकडियों की खुली नीलामी संस्थान के फार्म कार्यालय पर दिनांक 17.08.2017 को पूर्वान्ह में 11.00 बजे आयोजित की जायेगी। खुली नीलामी में सामिल होने हेतु इच्छुक व्यक्ति रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक एवं फार्म कार्यालय भवनों [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछ्वाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट, संस्थान की वेब साइट www.ciah.ernet.in एवं CPP-NIC पोर्टल पर उपलब्ध है। नीलामी में शामिल होने के इच्छुक व्यकित उक्त नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन अपनी बोली लगाने से पूर्व अवश्य कर लेवें।

प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास पूर्ण रुप से सुरक्षित रहेगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछ्वाल, बीकानेर - 334006

पत्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/FP/Auction/2011/ दिनांक: 02.08.2017.

संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों में बेर, लसोडा एवं खेजडी के पौधों की कटाई-छटाई (पृनिंग) से प्राप्त तथा ऑधी-तूफान से टूटी हुई लकडियों की खुली नीलामी (दिनांक 17.08.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे) के विस्तृत नियम व शर्तें:-

1. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य संपन्न करना होगा एवं सामान की निकासी गेट पास द्वारा (सुबह 10.00 से शाम 05.00 बजे तक) की जायेगी।
2. ऑधी से टूट कर नीचे गिरे सूखे पेडों को जड तक खुदाई करके निकालना होगा एवं गड्डे को पुनः मिट्टी से भरना होगा।
3. संस्थान में किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की संपत्ति पाइप लाइन, तारबंदी, पौधे इत्यादि को अनुबंधक व उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति नही पहुचायी जाये अन्यथा इसके लिए अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाई अनुबंधक को करनी होगी।
4. उपरोक्त कार्यों हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेंगे।
5. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा।
6. उपरोक्त लकडियां अनुबंधक को संस्थान में जहाँ पडी है वहीं से उठानी होगी।
7. अनुबंधक को लेबर रेग्युलेशन एक्ट के अनुरुप कार्य करना होगा।
8. प्राकृतिक आपदा, तेज आंधी, वर्षा, पाला पडना इत्यादी मौसमी परिस्थितियो से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान उत्तरदायी नही होगा एवं किसी भी प्रकार की रियायत नही दी जायेगी।
9. **नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यकित [पेन कार्ड की फोटो प्रति के साथ] को बयाना राशि के रुप में रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट [जो कि ICAR Unit, CIAH, Bikaner के पक्ष में] या इलेक्ट्रीक माध्यम से/या नगद रुप में जमा करवाने होगें।**
10. जिस व्यकित के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुबंध (नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) किया जायेगा एवं सक्षम अधिकारी स्वीकार करने पर ही कार्यादेश जारी किया जावेगा एव अनुबंधक कार्य शुरु करेगा।
11. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जावेगा। इस स्थिति में दूसरी अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
12. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लकडियों लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
13. संस्थान में अनुबंध पत्र स्वीकार करने के पश्चात कटाई-छटाई से प्राप्त लकडियों को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस में ले जाना होगा। तत्पश्चात अनुबंधक (ठेकेदार) का कोई हक उन लकडियों पर नही रहेगा। इस अवधि में लकडियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुबंधक (ठेकेदार) का ही होगा।

लगातार पृष्ठ सं.2 पर

14. बोली की राशि पर लगने वाले सभी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

15. लकडियॉ ले जाने हेतु भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही कराएगा।

16. लकडियॉ के कार्य संपादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

17. सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) लकडियॉ को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु अनुबंधक (ठेकेदार) को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

18. उपरोक्त लकडियॉ अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहॉ पडी है वहॉ से उठानी होगी।

19. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।

(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी